न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/2016

1. घनश्यामदास पुत्र ईशरदास जाति अरोड़ा निवासी सेतिया कालोनी श्रीगंगानगर।
2. माडोदेवी पत्नी श्री आशाराम जाति जाट निवासी फतुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. इन्द्राज पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी फतुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. कालुराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी फतुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. पंकज कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति अरोड़ा निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. दीप्ती पत्नी श्री मनोज कुमार जाति अरोड़ा निवासी कर्मचारी कालोनी यू.आई.टी. रोड़ श्रीगंगानगर।
7. उषा वधवा पत्नी कृष्ण कुमार जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. परमेश्वरी देवी
9. अमरो बाई

   पुत्रीयान माया देवी जाति रायसिख निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. शेरसिंह
11. शमशेरसिंह

    पुत्रान रंगासिंह जाति रायसिख निवासी फतुही तहसील व जिला श्रीगगानगर।

– – **प्रार्थीगण**

–:: बनाम ::–

1. गुरसेवकसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. पंकज कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. प्रतापसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. जीतकुमार
5. अजय कुमार

   पुत्रान कृष्णलाल जाति ओड राजपूत निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री सुभाष मिढ़ा अधिवक्ता	प्रार्थीगण
2. श्री औम प्रकश बत्तरा अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 2
3. श्री राजकुमार नागपाल अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 4 व 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

— :: निर्णय ::— दिनांक :— 24.06.2017

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 1 जे बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 30, 36, 37, 41, 49, 50, 51, तथा 58 में कृषि भूमि है। जमाबन्दी की नकल शामिल है।

प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारान को अपनी—अपनी भूमि एवम ढ़ाणियों में आनें जानें के लिये रास्ता अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5, 6, 16, 17 व मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3, 9, 12, 20 व 21 में गत लगभग 40—50 वर्षो से चल रहा है। क्योंकि अण्डरब्रीज से आगे तक सरकारी रास्ता है। तथा उस सरकारी रास्ता के आवागमन के लिये उक्त बीघों में रास्ता चलता आ रहा है।

मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5, 6, 16, 17 व मुरब्बा नम्बर 34 में रास्ता स्वीकृत करवानें के लिये प्रार्थीगण द्वारा भूमि के बदले भूमि अथवा जो भी रास्ते में मुन्जुर की जावेगी उसका मुआवजा राशि भी अदा करनें को तैयार है परन्तु अप्रार्थीगण जानबुझकर उक्त रास्ता को स्वीकृत न करवाकर बार बार आनें जानें के लिये बाधा उत्पन्न करते है जबकि मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 6, 16, 17 जो रास्ता चल रहा है उसके मुआवजा के रूप में 1,00,000/— रूपये की राशि अप्रार्थी गुरसेवकसिंह को अदा की हुई है तथा अब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि जीतकुमार व अजय कुमार जाति राजपूत को विक्रय करनें की जानकारी हुई है जो कि उक्त प्रचलित रास्ता को बन्द करनें की कोशिश कर रहे है। क्योंकि मन में गलत लालच आया हुआ है। उन्होनें जरिये बैयनामा उक्त भूमि को खरिद किया हुआ है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी तक उक्त रकबा का इन्तकाल अप्रार्थी संख्या 1 के नाम होनें के कारण उसे पक्षकार बनाया गया है जबकि वास्तविक कब्जा जीतकुमार व अजय कुमार के पास बतौर खरीदार चला आ रहा है। वे किसी भी समय उक्त रास्ता को बन्द कर सकते है। उन्होनें इस सम्बंध में एलानियां धमकी दी है अगर उक्त रास्ता को बन्द कर दिया जाता है, तो प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में आनें जानें के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं रहेगा इसलिये उक्त रास्ता मुरब्बा नम्बर 31 व 34 को स्वीकृत किया जाना आवश्यक हो गया है।

यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता को बन्द किया जाता है तो प्रार्थीगण को काफी कठिनाई होगी यहां तक कि अपनी भूमि में पहुचनें व फसल काश्त करनें से वंचित हो जावेगें क्योंकि इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता एवम् सुविधा आनें जानें के लिये प्रार्थीगण को नहीं है।

अतः चक 1 जे बड़ा के खाता संख्या 37/30 मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5, 6, 16, 17 एवम् मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3, 9, 12, 20, 21 में से एक एक बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करनें तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खाट लबाना में आयोजित कैम्प कोर्ट में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का स्वीकृत शुद्धा रास्ते से जुडाव नहीं है। तथा कुछ प्रार्थीगणों के खेत स्वीकृत शुद्धा रास्ते से जुडे हुए है।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में सभी पक्षकारों को पार्टी नहीं बनाया है, मुरब्बा नम्बर

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

31 अप्रार्थी का नहीं है बल्कि सतनामसिंह का रकबा है जिसे इस मुकद्मा में पक्षकार नहीं बनाया गया है जहां तक मुरब्बा नम्बर 31 में रास्ता स्वीकृत करनें का प्रश्न है यहां पर रास्ता किसी प्रकार से दिया जाना उचित नहीं है ना ही पूर्व में कोई रास्ता चल रहा है।

प्रार्थीयान द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें सभी पक्षकारों के नाम दर्ज नहीं किये गये है तथा जिन मुरब्बों में रास्ते की मांग की गई है उन्हे पूर्व में रास्ता उन खेतों मे जा रहा है। तथा वह उन खेतों में होकर अपनी जमीन में आसानी से जा सकते है।

अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा जबाब पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि चक 1 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 में से एक एक बिस्वा रास्ता की कोई आवश्यक्ता नहीं है। क्योंकि वर्तमान समय नें मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 ता 25 में से सरकारी रास्ता पिछले करीब 50–60 वर्षो से चला आ रहा है। जो प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 50 में जाता है। अन्य प्रार्थीगण के खेतों को भी यही रास्ता जाता है।

प्रार्थीगण के द्वारा न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के द्वारा ग्राम पंचायत खाटलबाना में आयोजित शिविर के दौरान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चक 1 जे बडा के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5, 6, 16, 17 से एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करनें की मांग की गई थी परन्तु सहवन से मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 14 व 23 अंकित करना रह गया है। जो कि टंकण की त्रृटि है अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5, 6, 16, 17 के साथ किला नम्बर 14 व 23 को सम्मलित करते हुए रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई दौरानें बहस उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें अपनें प्रार्थना पत्र तथा जबाब प्रार्थना पत्रों को दोहराया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि चक 1 जे बड़ा के खाता संख्या 37/30 मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5, 6, 14, 17, 23 एवम् मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3, 9, 12, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत हेतु मौके पर जो रास्ता चाहा गया है। उसके अतिरिक्त प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर जानें हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

– :: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 1 जे बड़ा के खाता संख्या 37/30 मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5, 6, 14, 17, 23 एवम् मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3, 9, 12, 20, 21 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है, जिसका मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दुगना प्रार्थीगण सम्बंधित काश्तकारान को अदा करेंगें।

प्रार्थीगण द्वारा मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाये जानें के उपरान्त राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन किया जाकर सम्बंधित काश्तकारान को तहसीलदार अपनें स्तर पर उनके हिस्सा अनुसार राशि का वितरण करेगें।''

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर